

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2002 (श्रावण 7, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री कृष्णकांत, भारत के उप राष्ट्रपति का निधन उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अजय विश्वाजी, हरिन्दरजीत सिंह (बब्बू), अंचल सोनकर, सदस्य, जबलपुर में पूर्व विधायक के परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, दतिया जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण में अनियमितता की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. वक्तव्य

(1) श्री सुभाष यादव, उपमुख्यमंत्री, दिनांक 4 अप्रैल, 2002 एवं 15 जुलाई, 2002 को पूछे गये क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 84 (क्रमांक 5681) तथा तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 47); तथा

(2) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, दिनांक 24 जुलाई, 2000 एवं 15 जुलाई, 2002 को पूछे गये क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 631) तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 91),

के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. वर्ष 2002-2003 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

निर्धारित
समय

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

1 घंटा
30 मि.

"दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,39,41,42,44,45,48,50,56,57,60,63,64,65,67,72,73, 75,79,80,82,86,93 तथा 94 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ सौ छब्बीस करोड़, तिहत्तर लाख, तीस हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

7. शासकीय विधि विधेयक कार्य

30 मि.

30 मि.

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2002 (क्रमांक 17 सन् 2002) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 16 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 138 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा
30 मि.

(शेष 50 मि.)

प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

धोपाल :
दिनांक : 28 जुलाई, 2002

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.